मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर 2015 को पुरःस्थापित

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१५ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
"१९.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, २०२ गंगा-जमुना काम्पलेक्स, जोन-१, एम.पी. नगर, भोपाल	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर-देवास बायपास रोड, ग्राम अरण्डिया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२०.	मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	मयंक्स वेलफेयर सोसायटी १०४ त्रिशूल अपार्टमेंट, ५, सांघी कॉलोनी, ए. बी. रोड, इन्दौर	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मालवांचल विश्वविद्यालय, एनएच-५९-ए, नेमावर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के प्रकाश में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात् :—डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर, एवं मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के प्रकाश में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १ दिसम्बर, २०१५

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) से उद्धरण.

धारा - १ से ४३. * * * *

अनुसूची

[धारा ९(१) देखिए]

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, गुना. "(मध्यप्रदेश)	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली.	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना (मध्यप्रदेश).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल.	ऑल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेंदुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"
३.	एमीटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	एमीटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"
४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"
६.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी, ग्वालियर.	समता लोक संस्थान, ट्रस्ट, ग्वालियर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच. ७५ झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश"

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
७.	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, भोपाल.	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, आर.जी.पी.व्ही. परिसर, एयरपोर्ट बायपास के पास, गोंदरमऊ, गांधी नगर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''
८.	स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी, सागर.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, एन.एच.-२६ ग्राम-सिरोंजा, सागर (म. प्र.).	''सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''
९.	ए.के.एस. युनिवर्सिटी, सतना.	ए.के.एस. चेरिटबल ट्रस्ट, सतना.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.	ए.के.एस. युनिवर्सिटी, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना (म. प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''
१०.	टेक्नो-ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा.	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता.	भारतीय न्यास अधिनियम, १९८२ (१९८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास.	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''
१७.	मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर	भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, महू-नीमच रोड, भंवरलाल नाहटा मार्ग, मंदसौर	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मंदसौर विश्वविद्यालय, बायपास स्क्वायर, रेवास देवड़ा रोड, मंदसौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''
१८.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर	मेडीकेप्स चेरिटेबल ट्रस्ट, २०१, पुष्परत्न पैराडाइज, ९/५ न्यू पलासिया, इन्दौर	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, ए. बी. रोड, पिग्दाम्बर राउ, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.